राजस्थान सरकार

श्री चंदन मल बैद

वित्त मंत्री, राजस्थान

का

भाषण

जो उन्होंने

राजस्थान विधान सभा में वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान

प्रस्तुत करते समय दिया

जयपुर, 26 मार्च, 1999

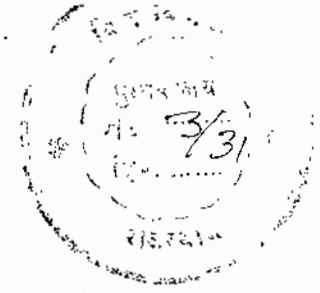

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. वर्ष 1998-99 राज्य के लिये एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इस वर्ष 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना हुए पचास वर्ष हो जायेंगे। उस दिन हम राजस्थान की स्थापना की स्वर्ण जयन्ती मनायेंगे। इस अवसर पर हम उन स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं जिनके त्याग और बलिदान से इस प्रदेश में सामन्ती प्रथा समाप्त हुई और यह प्रदेश अन्य सारे प्रदेशों के साथ आजाद हुआ व हमको प्रजातन्त्र प्राप्त हुआ। उचित समय पर राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान तो किया ही जायेगा। आज सबसे पहले मैं उन्हीं को याद करता हुआ उन सबको अपना सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले सम्मान की मानदेय राशि को 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूँ।

3. यह वर्ष इस कारण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष में राज्य की जनता ने कांग्रेस को राज्य विधान सभा के चुनाव में एक अभूतपूर्व बहुमत प्रदान किया जो तीन-चौथाई से भी अधिक है। इस भारी बहुमत से अब राज्य सरकार पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिये काँग्रेस को जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर इस विश्वास को बनाए रखना है। काँग्रेस अपने कर्त्तव्य का पालन करेगी और वित्त मन्त्री के नाते मै अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। इसके बारे में मैं विस्तार से अपने प्रस्तावों में आगे जिक्र करूंगा।

4. राज्य की जिस आर्थिक स्थिति में हमने पुनः शासन की बागडोर सम्भाली है वह अत्यन्त कठिन है। हमने जब शासन छोड़ा था उस समय राज्य पर 6 हजार 127 करोड़ रुपये का कर्ज था जिसके 31 मार्च, 1999 तक बढ़कर 23 हजार 532 करोड़ 96 लाख रुपये हो जाने का अनुमान है। बढ़ते हुए ऋण का प्रभाव यह हुआ है कि वर्ष 1989-90 में जहाँ ब्याज के पेटे मात्र 437 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा था उसके स्थान पर वर्ष 1998-99 की समाप्ति पर यह राशि 2 हजार 243 करोड़ 43 लाख रुपये होने का अनुमान है। 9 वर्ष के अन्तराल में पाँच गुने से भी अधिक ब्याज का भुगतान बढ़ गया है और राज्य के अपने कर राजस्व का लगभग आधा भाग केवल ब्याज के भुगतान पर ही व्यय हो रहा है।

5. काँग्रेस का सदैव यही प्रयास रहा है कि वह अपनी नीतियों में पारदर्शिता रखते हुए जन-सामान्य को शासन की गतिविधियों से अवगत कराये और सहभागिता के सिद्धान्तों पर चले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य की वर्तमान आर्थिक व वित्तीय स्थिति से जनता को अवगत कराने की दृष्टि से राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया है।

6. पाँचवे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों व पेंशन में संशोधन किया गया वहीं विभिन्न राज्य सरकारें भी इससे प्रभावित हुई व राज्य सरकारों को भी कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन आदि बढ़ानी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ मंदी के कारण राजस्व प्राप्तियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1998-99 के लिए संघीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के पेटे प्राप्तियों के जो बजट अनुमान रखे थे उनकी तुलना में संशोधित अनुमानों के अनुसार 9 हजार 990 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है। यही नहीं, केन्द्रीय सरकार ने अभी तक संविधान में संशोधन कर दसवें वित्त आयोग द्वारा सुझायी गयी राज्यों को राजस्व के अन्तरण की वैकल्पिक योजना जिसके अनुसार राज्यों को संघीय सकल कर राजस्व का 29 प्रतिशत भाग मिलना था, लागू नहीं की है।

7. चुनावों के ठीक बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी ने राज्य को एक पारदर्शी, संवेदनशील तथा उत्तरदायी सरकार देने की घोषणा की और यह संकल्प लिया कि चुनावों के पहले कांग्रेस के द्वारा जारी किये गये घोषणा पत्र के आधार पर वे राज्य सरकार का संचालन करेंगे। देश में यह पहली बार हुआ है कि किसी मुख्य मन्त्री ने घोषणा पत्र को इतना महत्व दिया हो।

8. राज्य का बजट एक प्रकार से सरकार की भावी कार्य योजना का वित्तीय लेखा जोखा होता है। जिस कठिन वित्तीय स्थिति में हमने शासन की बागडोर सम्भाली है उसे एक साथ ही पुनः सुदृढ़ कर देना सम्भव नहीं हो सकता। अतः एक निश्चित उद्देश्य व कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

9. माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 27 हजार 650 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने निश्चित करवाया था। पंचवर्षीय योजना का आकार तो बढ़ा दिया गया लेकिन उसको पूरा करने के लिये पिछली सरकार ने न तो समुचित संसाधन जुटाये और न ही इसको पूरा करने के लिये कोई इच्छा शक्ति प्रदर्शित की। नवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 1997-98 के लिये योजना 3 हजार 514 करोड़ 42 लाख रुपये की स्वीकृत कराई गयी थी जो बाद में बढ़कर 4 हजार 259 करोड़ 39 लाख रुपये की कर दी गई, लेकिन इसके पेटे कुल 3 हजार 987 करोड़

35 लाख रुपये का ही खर्च बताया गया। इस खर्च में भी 747 करोड़ रुपये की राशि का लेखा समायोजन तो राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के ऋण को इक्विटी में बदलने के लिये किया गया। अत: वास्तव में देखें तो योजना पर केवल 3 हजार 240 करोड़ 35 लाख रुपये ही खर्च हुए। नवीं योजना के दूसरे साल 1998-99 के लिये योजना 4 हजार 300 करोड़ रुपये की स्वीकृत कराई गई थी लेकिन पिछली सरकार ने आवश्यक संसाधन जुटाने के स्थान पर बजट पास होने के पश्चात् करों में 30 करोड़ रुपये की छूट दे दी। इसके अलावा ऊपर वर्णित आर्थिक मंदी के कारण भारत सरकार द्वारा 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत मिलने वाली राशि और अनुदान में लगभग 808 करोड़ रुपये की कमी आई। इन सब कारणों से वर्ष 1998-99 की योजना व्यय 3 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक करना कठिन था, लेकिन प्रदेश की प्रगति और विकास में बाधा न आये इसको ध्यान में रखते हुए भारी प्रयास करके इस योजना को 4 हजार 78 करोड़ रुपये तक वर्तमान सरकार द्वारा बढ़ाया गया है।

10. नवीं योजना के तीसरे वर्ष की योजना बनाने का कार्य वर्तमान सरकार के जिम्मे आया। वर्तमान सरकार ने राज्य के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया किन्तु भारत सरकार की वित्तीय स्थिति व अन्य कारणों से हमारी योजना के आकार को 4 हजार 750 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया। राजस्थान के विकास और प्रगति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान

सरकार ने यह उचित समझा है कि हम अपनी योजना को 5 हजार 22 करोड़ रुपये की रखें। 4 हजार 750 करोड़ रुपये की योजना के लिये हम पर 586 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी डाली गई थी। अब योजना को 272 करोड़ रुपये से और बढ़ाने के कारण हमारी संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है।

11. आगामी वर्ष नवीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा एवं मध्य वर्ष है। आगामी वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वित्त आयोग की रपट भी प्राप्त हो जायेगी। वर्तमान में संसाधनों की उपलब्धता में जो कमियाँ दृष्टिगत हो रही हैं उनको देखते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की व्यवस्था करना तो आवश्यक है ही, व्यय में नियंत्रण करना भी आवश्यक है। राज्य सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाने के लिये कटिबद्ध है। अनुत्पादक व्यय को कम किया जायेगा तथा ऐसे विभाग, राजकीय उपक्रम व योजनाएँ बन्द की जायेंगी जिनका अब कोई महत्व अथवा उपादेयता नहीं रह गई है।

12. जैसा कि मेरे विभिन्न प्रस्तावों से स्पष्ट होगा, हम आगामी वर्ष में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, विधवा, परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं व नि:शक्तों के आर्थिक विकास व उनको स्वावलंबी बनाने तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण पर विशेष बल देंगे। इसके अतिरिक्त प्रशासन में विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं व अन्य स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ देंगे।

13. मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि आगामी वर्ष में दूसरे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जायेगा। यह आयोग शासन के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में सुझाव देगा जिससे कि पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इसके साथ-साथ राज्य कोष से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता राशि के सम्बन्ध में भी यह अपने सुझाव देगा।

ग्यारहवाँ वित्त आयोग :

14. माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे कि राष्ट्रपति जी ने 3 जुलाई, 1998 को एक अधिसूचना जारी कर ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन किया है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रख्यात अर्थशास्त्री ए.एम.खुसरो हैं। वित्त आयोग का गठन राज्यों के लिये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आयोग राज्यों को केन्द्र के कर राजस्व में से दिये जाने वाले भाग के साथ-साथ अन्य अनुदान राशि भी प्रस्तावित करता है। राज्य सरकार आयोग के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रही है जिससे राज्य की विषम वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक सहायता राशि प्राप्त की जा सके। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे इस संबन्ध में अपने सुझाव हमें दें।

आर्थिक सुधार :

15. माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि वर्ष 1990-91 में देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। राज्य सरकार उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के पक्ष में है और राज्य की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें लागू करेगी। राज्य के हित और जन साधारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा। जहाँ आवश्यक होगा नियमों और प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जायेगा। इसी शृंखला में सर्वप्रथम सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य की ऋण लेने व राजकीय प्रत्याभूतियाँ जारी करने की एक सीमा निर्धारित की जाये। सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में उचित प्रस्ताव विधान सभा के इसी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

वार्षिक योजना :

16. आगामी वर्ष की योजना का आकार 5 हजार 22 करोड़ रुपये निर्धारित किंया गया है जो कि इस वर्ष की योजना के संशोधित आकार से 23.15 प्रतिशत अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद भी प्रदेश के विकास हेतु हमने योजना के आकार को पर्याप्त बढ़ाया है। उत्पादन में बढ़ोतरी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध

कराने व शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बिजली व सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए पानी की उपलब्धता इस योजना के मुख्य लक्ष्य रखे गये हैं।

कृषि :

17. वर्ष 1999-2000 में 200 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ व रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई कर 126 लाख टन खाद्यान्न तथा 36 लाख टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 20 लाख टन रासायनिक उर्वरक एवं 4 लाख क्विण्टल प्रमाणित व उन्नत बीज उपलब्ध कराये जायेंगे। कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिये आगामी वर्ष में 278 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

18. राज्य में भूमिगत जल की निरन्तर कमी को ध्यान में रखते हुए इसके कुशलतम उपयोग हेतु फव्वारा सिंचाई एवं बूंद-बूंद सिंचाई कार्यक्रम को अधिक महत्त्व दिया जायेगा। आगामी वर्ष में 20 हजार नये फव्वारा सैट्स लगाने हेतु अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है।

19. गाँवों में कचरे को एकत्रित कर खाद के रूप में उपयोग लेने हेतु उन्नत तरीकों से विभिन्न प्रकार की कम्पोस्ट खाद तैयार करवाने के लिये निर्मल ग्राम योजना प्रारम्भ

की जायेगी जिसके लिए अगले वर्ष में 1 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

20. जल ग्रहण योजनाओं के अन्तर्गत अगले वर्ष में 128 करोड़ रूपये के कार्य हाथ में लेना प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज :

21. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तियां एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के क्रम में जिला विकास अभिकरणों का समस्त प्रबन्ध जिला परिषदों को सौंपने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए जिला प्रमुखों को जिला विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया है तथा जिला विकास अभिकरण के माध्यम से करवाई जाने वाली कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन का भार भी जिला परिषदों को सौंपा जा रहा है।

22. पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त प्रशासनिक और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करा कर सुदृढ़ किया जायेगा ताकि विकास योजना का पूरा फल ग्रामीण जनता को मिल सके। आगामी वर्ष में 3 हजार से ऊपर ऐसी ग्राम पंचायतों में जिनमें अभी पृथक ग्राम सेवक नहीं हैं, प्रत्येक में ग्राम सेवक की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

इसके लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राज्य में ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का सृजन किया जायेगा।

23. राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्त बस्तियों व स्थानों में जहाँ 40 बच्चे पढ़ने वाले हों प्राथमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रथम आकलन के अनुसार लगभग 16 हजार ऐसी बस्तियाँ हैं जहां प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने हैं। इन समस्त स्थानों पर सामुदायिक आधार पर जन सहयोग से भवन की व्यवस्था होते ही प्राथमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस योजना में वे प्राथमिक विद्यालय भी शामिल किये जायेंगे जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन शिक्षा केन्द्रों का संचालन ग्राम पंचायत या मान्यता प्राप्त संस्थाओं के हाथ में होगा। इन केन्द्रों में ऐसे युवक एवं युवतियाँ अध्यापन कार्य पर लगाये जायेंगे जो उसी क्षेत्र के स्थानीय निवासी हों, जिनकी समाज सेवा में रुचि हो व जो कम से कम 8वीं कक्षा पास होने की आवश्यक शिक्षण अर्हता रखते हों। अध्यापन का उत्तरदायित्व उठाने वाले इन समाजसेवियों को 12 सौ रुपया प्रति माह मानदेय के रूप में देय होगा। अगर कोई पंचायत या मान्यता प्राप्त संस्था इससे ज्यादा भुगतान करती है तो उसका भार वह संस्था स्वयं वहन करेगी। शिक्षित महिलाओं, विशेष रूप से विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।

इन केन्द्रों को यह छूट होगी कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर अध्यापकों की संख्या को बढ़ा सकें। ऐसे केन्द्रों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाये जाने की अनिवार्यता होगी। इन केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को राज्य सरकार पुस्तकें नि:शुल्क देगी तथा ब्लैक बोर्ड, कुर्सी-टेबल, टाट पट्टी का प्रबन्ध तथा भवन के रख-रखाव आदि अन्य व्यवस्थाओं के लिये कुल 8 हजार रुपये तक का एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा। आगामी वर्ष में इन केन्द्रों हेतु 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अनुदान के रूप में पंचायतों को उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य में मान्यता प्राप्त 619 मदरसे जिनके भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं और जिनमें आधारभूत अन्य शैक्षणिक सुविधाएँ जैसे टाट पट्टी, बोर्ड व टेबिल कुर्सियाँ आदि उपलब्ध नहीं है, भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में यदि कोई अन्य मान्यता प्राप्त संस्था भी यह योजना अपनाती है तो वह भी अनुदान प्राप्त करने की हकदार होगी।

24. राज्य वित्त आयोग के अवार्ड के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 1999-2000 में 77 करोड़ 67 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को अगले वर्ष 53 करोड़ 6 लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजना संगठन के माध्यम से ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 202 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

25. संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव आगामी वर्ष में कराये जायेंगे जिसके लिए 27 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

26. माननीय विधानसभा सदस्य गणों द्वारा विभिन्न विकास कार्य स्वयं के स्तर पर निर्णय कर कराने हेतु प्रति सदस्य 10 लाख रुपये के वर्तमान प्रावधान को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु मैं आगामी वर्ष में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान रखना प्रस्तावित करता हूँ।

पशुपालन :

27. राज्य की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लघु व सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीणों की बहुत बड़ी संख्या लाभप्रद रोजगार हेतु पशुधन पर आश्रित है। आगामी वर्ष में पशु चिकित्सालय एवं नस्ल सुधार गतिविधियों के विस्तार करने के उद्देश्य से 100 नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त 400 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना भी की जायेगी जिसके लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

28. पशुपालन के लिये अगले वर्ष 101 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों से 18 करोड़ 10 लाख रुपये अधिक है।

सहकारिता :

29. आगामी वर्ष में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने वाले सभी कृषक सदस्यों को ''सहकारी किसान कार्ड'' से ऋण वितरण की व्यवस्था की जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में छोटे काश्तकारों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए ''राजफैड'' के माध्यम से कृषि उपज की खरीद की व्यवस्था की जायेगी।

30. राज्य में वर्ष 1999–2000 में किसानों को 900 करोड़ रुपये के फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास के साथ ही दीर्घकालीन कृषि सुधार कार्यों के लिए भूमि विकास बैंक के माध्यम से किसानों को अगले वर्ष में 250 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण :

31. आगामी वित्तीय वर्ष में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र को छोड़कर 28 हजार 700 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है

जिसके लिए 536 करोड़ 76 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

32. अगले वित्तीय वर्ष में सोम-कमला-अम्बा व परवन लिफ्ट एवं 40 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

33. राज्य में जल संसाधन विकास की दीर्घकालीन योजना बनाने की दृष्टि से अगले वर्ष ''राज्य जल नीति'' जारी किया जाना प्रस्तावित है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना :

34. माननीय सदस्य इस बात से परिचित है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य की मरु गंगा है एवं प्रदेश की जीवन रेखा है। इस परियोजना के लिए अगले वर्ष में 227 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस परियोजना क्षेत्र में चालू वर्ष के अन्त तक कुल 10 लाख 88 हजार हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित होगी। अगले वर्ष में 330 कि.मी. लम्बी पक्की नहरों का निर्माण कर 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जायेगी।

सिंचित क्षेत्र विकास :

35. इंदिरा गांधी नहर परियोजना चम्बल एवं माही परियोजनाओं में सिंचित क्षेत्र

विकास के अन्तर्गत अगले वर्ष 84 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए वर्ष 1999-2000 में 135 करोड़ 79 लाख रुपयों का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

उपनिवेशन :

36. राज्य की इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के अन्तर्गत विकसित सिंचित क्षेत्रों में लगभग 3 लाख 57 हजार हैक्टेयर विकसित भूमि आंवटन के लिये उपलब्ध है। पिछले वर्षों में बहुत कम आवंटन होने से इसका सदुपयोग नहीं हो पाया तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य एवं बहुत से परिवार जिनको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ होता व रोजगार प्राप्त होता उससे वंचित रहे हैं। अत: एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अभियान चलाकर इस भूमि का सामान्य व विशिष्ट आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

पेयजल :

37. राज्य के प्रत्येक गाँव एवं बस्ती में पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। अगले वित्तीय वर्ष में 6 हजार गाँवों, बस्तियों एवं ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 1 हजार 112 करोड़ 58 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

38. प्रदेश के कुछ जिले फ्लोराइड एवं खारे पानी की समस्या से प्रभावित हैं। इसके निदान हेतु अत्यधिक फ्लोराइड एवं खारे पानी से ग्रस्त गाँवों की ओर विशेष ध्यान देते हुए पेयजल योजनाएँ बनाई जायेंगी।

39. अगले वर्ष विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं भीलवाड़ा शहरों की जल वितरण प्रणाली में सुधार एवं उच्च जलाशय निर्माण के कार्य हाथ में लिए जायेंगे। इसके साथ ही तीन स्थानों पर गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स का निर्माण भी किया जायेगा।

वन :

40. वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य में वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा राज्य योजना में 174 करोड़ 28 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें से 152 करोड़ 73 लाख रुपये ओ.ई.सी.एफ. जापान की सहायता से क्रियान्वित की जा रही अरावली वृक्षारोपण परियोजना, वानिकी विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं प्रस्तावित अरावली परियोजना द्वितीय चरण के लिए हैं।

41. अरावली वृक्षारोपण परियोजना के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् 555 करोड़ रुपये लागत की अरावली परियोजना द्वितीय चरण तैयार की गई है। इस परियोजना हेतु

वर्ष 1999-2000 के लिए 72 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

42. राज्य में वर्ष 1999-2000 में विभिन्न राज्य योजनाओं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा।

सड़कें :

43. सड़कें विकास का प्रमुख माध्यम है। अगले वर्ष सड़कों के निर्माण, रख-रखाव, सुदृढ़ीकरण आदि हेतु 515 करोड़ 84 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

44. आगामी वर्ष 1 हजार 350 कि.मी. सड़कों का निर्माण कर 265 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जायेगा।

45. इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी समितियों, कृषि विकास परियोजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से राज्य में 2 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जायेंगी जिसके लिये 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

46. वर्ष 1999-2000 में विश्व बैंक की सहायता से राज्य में हाइवे परियोजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

47. माननीय सदस्य प्रदेश की सड़कों की दशा से परिचित एवं चिन्तित हैं। सड़कों का उचित रख-रखाव हमारी प्राथमिकता है। अगले वित्तीय वर्ष में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पुनरुद्धार, तकनीकी उच्चीकरण एवं विशेष मरम्मत के लिए मैटिरियल कम्पोनेंट के तहत चालू वर्ष के प्रावधान 95 करोड़ 50 लाख रुपये को दो गुना कर अगले वर्ष 191 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा मजदूरी व्यय हेतु 36 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इससे 6 हजार 255 कि.मी. सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण किया जा सकेगा।

उद्योग :

48. आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में रीको द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से जोखिम पूंजी कोष स्थापित किये जाने हेतु रीको एवं राज्य सरकार ने वांछित आधारभूत एवं नीतिगत सहयोग प्रदान करने का निश्चय किया है।

49. राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खादी एवं ग्रामोद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान स्वीकारते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने का मंतव्य व्यक्त किया गया है। आगामी वर्ष में खादी

उत्पादन में 50 करोड़ रुपये एवं ग्रामोद्योग में 450 करोड़ रुपये तक के उत्पादन हेतु प्रयास किये जायेंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में 37 हजार अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योग प्रोत्साहन हेतु आगामी वर्ष में 5 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फण्ड (Revolving Fund) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 3 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में तथा 1 करोड़ 44 लाख रुपये अनुदान के रूप में है। इसमें छोटी से छोटी ग्रामीण उद्योग इकाई को भी यह ऋण/सहायता सुलभ हो सकेगी। विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों को कार्यकारी ऋण व पूंजीगत राशि प्रदान कर 5 हजार पूर्णकालीन व 6 हजार अंशकालीन रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

50. 'युवाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार' कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी बोर्ड द्वारा सांगानेर एवं पुष्कर में एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इस पर अगले वर्ष में 6 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इन प्रशिक्षण केन्द्रो में 400 व्यक्ति प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

51. औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु एक नवीन ब्याज अनुदान योजना (Interest Subsidy Scheme) प्रारम्भ की जा रही है, जिसके लिए वर्ष 1999-2000 में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें औद्योगिक इकाइयों को बैंकों/वित्तीय

संस्थाओं से दीर्घकालीन ऋण लेने पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

52. राजस्थान में पर्यटन की विपुल संभावनाएँ है। अतः पर्यटन प्रोत्साहन के कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु विशेष राशि के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इस वर्ष के प्रावधान 16 करोड़ 74 लाख रुपये को बढ़ाकर अगले वर्ष 23 करोड़ 3 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

53. राज्य के धार्मिक स्थलों का जो कि जन साधारण की धार्मिक श्रद्धा व आस्था के प्रतीक हैं एवं पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त हैं, विकास/विस्तार कराया जाना प्रस्तावित है। ओसियां मंदिर जोधपुर के विकास कार्य हेतु 20 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नाथद्वारा, पुष्कर, सालासर व विराटनगर में 20-20 लाख रुपये व्यय कर विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे।

54. आगामी वर्ष को राज्य की स्थापना के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया जायेगा व इस दौरान राजस्थान की कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु एवं लुप्त कलाओं के संवर्धन एवं प्रलेखन तथा ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण हेतु

सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं वर्कशॉप/सेमीनार आदि का आयोजन किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ कुल 2 करोड़ 31 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। संग्रहालय भवनों के संरक्षण, पुनरुद्धार एवं मरम्मत कार्यों हेतु 110 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें केन्द्रीय संग्रहालय, अल्बर्ट हाल, जयपुर के विशेष संरक्षण, रखरखाव एवं नवीनीकरण हेतु आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपये निश्चित किये गये हैं।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास :

55. शहरी क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने हेतु फ्लाइओवर व सड़कों का निर्माण BOT व BOOT प्रणाली से कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा शहरों में इसी सिद्धान्त पर बहुमंजिला इमारतें बनवाने पर विचार किया जायेगा।

56. अगले वित्तीय वर्ष में नगरपालिका क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु 13 करोड़ 45 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

57. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 हजार 680 परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु अगले वर्ष 16 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

58. अगले वर्ष नगर पालिकाओं को राज्य वित्त आयोग एवं दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में कुल 36 करोड़ 35 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया जाएगा। साथ ही उनको संस्थापन व्यय तथा विकास कार्यों हेतु विशेष अनुदान के साथ में 320 करोड़ 66 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

न्याय एवं कानून व व्यवस्था :

59. आगामी वर्ष 30 नवीन न्यायालयों का सृजन किया जायेगा जिसके लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

60. राज्य सरकार प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के प्रति कटिबद्ध है। इस हेतु पुलिस पुनर्गठन योजना के तहत अगले वर्ष 20 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान प्रस्तावित है। इससे राज्य में अधिक थाने, चौकियाँ एवं वृत्त खोले जाएंगे ताकि अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

61. यह आम शिकायत है कि थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु स्टेशनरी उपलब्ध नहीं होती है। इस कमी को दूर करने की दृष्टि से अगले वर्ष स्टेशनरी हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

विद्युत् :

62. किसान भाइयों को रबी के मौसम में 8 घंटे बिजली देने के वायदे को सरकार ने निभाया है। अतिरिक्त बिजली की खरीद के लिये विद्युत मण्डल को 30 करोड़ रुपये प्रतिमाह का विशेष नकद अनुदान दिया जा रहा है। इस निर्णय से राज्य में इस वर्ष रबी की भरपूर फसल होने की आशा है। सरकार द्वारा नर्सरी योजना को भी समाप्त कर दिया गया है किन्तु ऐसे आवेदकों को जिनसे विद्युत् मण्डल द्वारा राशि वसूल कर ली गई है, दिनांक 31 मार्च, 1999 तक कनेक्शन देने के यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष से राज्य में नई कृषि कनेक्शन नीति लागू की जायेगी जिसके अन्तर्गत सामान्य आवेदकों को वांछित प्राथमिकता दी जायेगी।

63. प्रदेश में विद्युत् की उपलब्धि व माँग के अन्तर को कम करने के लिए सरकार की नीति पूर्णतया निजी क्षेत्र पर ही आश्रित रहने की नहीं है। सूरतगढ़ ताप विद्युत् गृह की पहली इकाई ने नियमित उत्पादन आरम्भ कर दिया है। इस विद्युत् गृह की दूसरी इकाई पर द्रुत गति से कार्य हो रहा है और इसके अक्टूबर, 2000 में आरम्भ होने की सम्भावना है।

64. सूरतगढ़ ताप विद्युत् गृह के द्वितीय चरण में 250 मेगावाट की दो इकाइयाँ लगाई जायेंगी। इस परियोजना की आर्थिक व तकनीकी स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है।

65. राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली विद्युत् परियोजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने हेतु मन्त्रिमण्डलीय समिति के स्तर पर विचार किया गया है। संशोधित शर्तों पर नैप्था पर आधारित परियोजनाओं के लिये 3 कम्पनियों ने अपनी सहमति जताते हुए सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारण्टी जमा करा दी है। लिग्नाइट आधारित बरसिंगसर परियोजना की स्वीकृति हेतु भी भारत सरकार को राज्य सरकार की अनुशंसा प्रेषित करने हेतु निर्णय ले लिया गया है। आशा है निजी उत्पादकों द्वारा वित्तीय सस्थाओं से वित्त प्रबन्धन (Financial Closure) होने पर वे शीघ्र विद्युत् परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरम्भ कर देंगे।

66. राज्य में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने, निजी निवेश को आकृष्ट करने, उपभोक्ता सेवाओं को सन्तोषजनक बनाने तथा उन्हें उचित दर पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने हेतु व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों की दिशा में पूरे देश में एक आम सहमति बन रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार भी सुधारों के विभिन्न विकल्पों पर सक्रियता से विचार कर रही है। हाल ही में प्रदेश में राज्य विद्युत् नियामक आयोग बनाने का निर्णय ले लिया गया है एवं ऐसी अपेक्षा है कि इसका गठन शीघ्र ही हो जायेगा। सुधार की दिशा में कुछ निर्णय निकट भविष्य में कठोर अवश्य हो सकते है किन्तु यह अपेक्षा है कि इनसे विद्युत् क्षेत्र में आशानुरूप सुधार होगा तथा

प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सकेगा। इस चुनौतीपूर्ण कार्य में राज्य सरकार को सभी वर्गों से भरपूर सहयोग की आशा है।

67. आगामी वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 700 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 30 हजार कुओं का ऊर्जीकरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। विद्युत् क्षेत्र में योजनान्तर्गत 948 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

68. आगामी वर्ष राज्य में जनजाति विकास की महाराष्ट्र प्रणाली लागू की जायेगी। प्रारंभ में 13 विभागों की राज्य आयोजना मद की 8 प्रतिशत राशि का एक जनजाति विकास कोष बनाया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण सम्बन्धित विभागों से चर्चा करने के पश्चात् जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

69. आश्रम छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भोजन, वस्त्र एवं अन्य सुविधाओं हेतु दी जाने वाली राशि समाज कल्याण विभाग की दरों के अनुरूप 350 रुपये से बढ़ाकर 675 रुपये प्रति छात्र प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है।

70. जनजाति उप योजना क्षेत्र में अगले वर्ष विपणन एवं बिक्री प्रशिक्षण हेतु

10 लाख रुपये, तपेदिक नियंत्रण हेतु 143 लाख रुपये और फ्लोरोसिस नियंत्रण हेतु 30 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

71. सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु जनजाति उप योजना क्षेत्र में 20 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन व 12 एनिकटों का निर्माण तथा 285 डीजल पम्प सेटों का वितरण किया जायेगा। गैर उपयोजना क्षेत्र में 7 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन, 9 एनिकटों के निर्माण तथा 270 डीजल पम्प सेटों के वितरण हेतु वित्तीय प्रावधान किया गया है।

72. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 66 जनजाति बस्तियों का एवं 2 हजार 968 कृषि कुओं का विद्युतीकरण किया जायेगा।

73. दस आश्रम छात्रावासों के निर्माण हेतु 1 करोड़ 66 लाख 85 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।

74. केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 के लागू हो जाने से आम जनजातियों के रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान एवं सामुदायिक संसाधनों की प्रभावी सुरक्षा हो सकेगी तथा ग्राम सभाओं एवं पंचायतों को अधिक शक्तियाँ प्रदान कर सशक्त किया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वायत्त सरकार की भांति कार्य कर सकेंगी।

महिला एवं बाल विकास :

75. हमारे समाज में महिलाओं को अभी भी अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार असहाय महिलाओं हेतु आवश्यक वातावरण विकसित करना चाहती है ताकि इनकी स्थिति बेहतर हो सके व ये अपने पैरों पर खड़ी होकर राज्य के विकास में भागीदार बन सकें।

76. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं अन्य पीड़ित महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से खादी व ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु आगामी वर्ष में 3 करोड़ रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

77. महिला सामर्थ्य योजना के नाम से विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाओं के लिये एक नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य उन्हें जीवन यापन के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसी महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला महिला विकास अभिकरणों द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा इन महिलाओं को योग्यता के अनुरूप स्वयं की इकाई स्थापित करने के लिये आवश्यक संसाधन व उपकरण इत्यादि क्रय करने हेतु 5 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। आवश्यकता होने

पर लागत की शेष राशि वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। इन दोनों योजनाओं हेतु 62 लाख 45 हजार रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पशुपालन के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने की एक योजना टोंक से आरम्भ की जायेगी। आगामी वर्ष इसके लिए 6 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है।

78. नि:शक्त महिलाओं के विवाह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामूहिक विवाह आयोजित कराने वालों को, कम से कम दो ऐसे जोड़ों का विवाह कराने पर जिनमें महिला विकलांग हो, प्रति दम्पति 1 हजार रुपये और दम्पति को 4 हजार रुपये की राशि महिला व बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है। चूंकि विवाह के मामले में बहुत मामूली विकलांगता भी बड़ी बाधा सिद्ध होती है इसलिए सामूहिक विवाह के उद्देश्य से विकलांग की परिभाषा परिवर्तित की जायेगी। इस हेतु 30 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

79. 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली वर्तमान पेंशन की राशि को दुगुना कर 200 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। इस हेतु 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

80. विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि को 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा जिसके लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

81. महिलाओं को उद्यम लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला उद्यमियों को 'ब्याज अनुदान योजना' के अन्तर्गत 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। इसके अतिरिक्त 'रीको' द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिये भूमि आवंटन में आरक्षण सीमा को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

82. महिला उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण के अतिरिक्त उद्यम स्थापित करने के लिये भूमि आवंटन एवं अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था भी की जायेगी।

83. राज्य में महिला विकास को गति देने के उद्देश्य से एक महिला विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह निगम महिलाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट्स तैयार करवायेगा, प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वित्त व्यवस्था भी करेगा। इस निगम की स्थापना से महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हो जायेंगी। इस हेतु अगले वर्ष 2 करोड़ रुपये की अंश पूंजी दिया जाना प्रस्तावित है।

समाज कल्याण :

84. सरकार समाज के कमजोर वर्गों एवं नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण को सर्वोपरि महत्व देती है। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को अधिकाधिक शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में 50 नये छात्रावास खोले जायेंगे, जिनके माध्यम से 1 हजार 250 छात्र/छात्राओं को अतिरिक्त आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेंगी। इस हेतु 1 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

85. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के कल्याण हेतु राज्य सरकार विशेष ध्यान देगी। शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सभी संभाग मुख्यालयों पर एक-एक आवासीय विद्यालय निर्मित करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग से अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु 7 नये छात्रावास भवनों का भी निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 7 करोड़ 31 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

86. दसवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत कमजोर वर्ग की छात्राओं हेतु आवासीय सुविधाओं का नितान्त अभाव है। अत: राज्य सरकार द्वारा सभी संभागों में उत्तर मैट्रिक कक्षाओं की छात्राओं हेतु छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन किया जायेगा, जिसके लिये 1 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

87. राजकीय छात्रावासों के अपने भवनों की कमी को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष 50 नये छात्रावास भवनों का निर्माण करवाये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

88. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की भाँति, समान दर पर गाड़िया-लुहारों के बच्चों को भी पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

89. गाड़िया लुहारों को स्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित करने हेतु आवास निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना की इकाई लागत के अनुरूप 17 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

90. आगामी वर्ष में निःशक्त व्यक्तियों को उनकी आवश्यकतानुसार सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विशेषज्ञों की सेवाएँ लेते हुये कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु शिविर आयोजित करवाये जायेंगे। इस हेतु 1 करोड़ 47 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 15 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

91. पोलियो करेक्शन शिविरों को वृहद स्तर पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु चालू वर्ष के 5 लाख रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर आगामी वर्ष में

50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

92. नि:शक्त व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु आगामी वर्ष स्वरोजगार की एक नई अभिनव योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत नि:शक्त व्यक्तियों को स्वयं का धंधा करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु 5 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी तथा आवश्यकता होने पर शेष राशि वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। इस हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

93. नि:शक्त व्यक्तियों की पेंशन राशि को 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 2 करोड़ 80 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

94. वर्ष 1999 को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की सेवा-शुश्रूषा एवं उचित देखभाल के लिए 25 नये डे-केयर सेन्टर स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु 37 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

95. 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धों की वर्तमान पेंशन की राशि को दुगुना कर 200 रुपये प्रतिमाह व निराश्रित वृद्ध दंपतियों की 150 रुपये प्रतिमाह की पेंशन

को भी दुगुना कर 300 रुपये प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 9 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। किसी भी वृद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के सम्मुख स्वयं यह घोषणा करने पर कि उसके बच्चे उसका पालन पोषण नहीं करते हैं, यह पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी।

96. राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को प्रदत्त बैंक गांरटी जो कि वर्तमान में कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपये है को तीन गुना किया जायेगा। इसके फलस्वरूप इस निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों व सफाई कर्मचारियों को भी आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

97. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित व अनुदानित छात्रावासों एवं अन्य गृहों में आवास कर रहे बच्चों को 450 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से राशि स्वीकृत है। इस राशि में 225 रुपये की वृद्धि कर इसे 675 रुपये प्रति छात्र प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

98. अनुदानित एवं राजकीय छात्रावासों में रहने वाले छात्र व छात्राओं की विशेष कोचिंग हेतु 200 रुपये प्रति विषय प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर जयपुर में

1 हजार रुपये, संभाग मुख्यालयों पर 750 रुपये तथा अन्य स्थानों पर 500 रुपये प्रति विषय प्रति माह करना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष में 30 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना प्रस्तावित है।

99. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी वर्ष में महिलाओं, नि:शक्त व वृद्ध व्यक्तियों तथा समाज के कमजोर वर्ग के छात्र व छात्राओं के लिए विभिन्न योजनाओं में हमने इस बजट में लगभग 56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

अल्प संख्यक विकास :

100. राज्य में अल्प संख्यक आयोग को और अधिक प्रभावी व हितकारी बनाने के लिए इसके अन्तर्गत एक वित्त प्रकोष्ठ भी बनाये जाने का प्रस्ताव है। यह प्रकोष्ठ राज्य के अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों, कारीगरों एवं अन्य लघु उद्यमियों को अपने व्यवसाय स्थापित करने अथवा बढाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करायेगा। इसके लिए 3 करोड़ रुपये की राशि का प्रारम्भिक कोष बनाया जायेगा। इसमें राज्य सरकार आवश्यक अंशदान देकर केन्द्र सरकार का अंशदान भी प्राप्त करेगी। सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक राजकीय गारन्टी देने का भी निर्णय कर लिया गया है।

पिछड़ी जाति विकास :

101. राज्य की पिछड़ी जातियों के दस्तकारों, कारीगरों एवं अन्य लघु उद्यमियों को अपने व्यवसाय स्थापित करने अथवा बढ़ाने के लिये आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने राज्य में एक पिछड़ी जाति विकास वित्त निगम के गठन का निर्णय लिया है। सरकार ने इस प्रस्तावित निगम को राष्ट्रीय निगम से संसाधन प्राप्त कर पिछड़ी जातियों के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक राजकीय गारन्टी देने का भी निर्णय कर लिया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

102. अगले वर्ष इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। मेरा यह मानना है कि राजकीय अस्पतालों में उपलब्ध सुविधायें बहुत सीमित हैं जिनके परिणामस्वरूप गरीब व सामान्य व्यक्ति जो मंहगी चिकित्सा हेतु व्यय वहन नहीं कर सकते उन्हें भारी असुविधा व अभाव का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से मैंने स्वयं ने इस बार चिकित्सा व स्वास्थ्य के मद में प्रावधानों की कमी की समस्या को देखा है व यथासंभव इसको दूर करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में राज्य के चिकित्सालयों में दवाइयों का बजट 2 हजार 400 रुपये प्रति बिस्तर से बढ़ाकर दुगुना (4 हजार 800 रुपये प्रति बिस्तर प्रति वर्ष) किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

एवं डिस्पेन्सरियों में भी दवाइयों के बजट में बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित है। मरीजों की खुराक की वर्तमान दर 10 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 20 रुपये प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में स्वीकृत बिस्तरों की सार सँभाल के लिये भी आगामी वर्ष में उचित प्रावधान किया जा रहा है।

103. बहुत से लोगों को विशेष बीमारियों के लिये राजस्थान से बाहर जाना पड़ता है और राज्य कर्मचारियों को भी विशेष बीमारियों के इलाज के लिये राजस्थान से बाहर भेजने के लिये सरकार को हर वर्ष 10 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि व्यय करनी पड़ती है। अत: प्रस्ताव है कि छहों मेडीकल कॉलेजों में एक-एक बीमारी के इलाज के लिये विशेष प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया जाये। इसके लिये आगामी वर्ष में 50 लाख रुपये का टोकन प्रावधान प्रस्तावित है।

104. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि जयपुर में अलग से एक दांतों का अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है, जिसके लिये अगले वर्ष 2 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

105. नाथद्वारा का देश में धार्मिक दृष्टि से एक अनूठा महत्व है। राज्य तथा अन्य राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाथद्वारा आते हैं अत: यहाँ उचित स्तर की चिकित्सा सुविधा होना आवश्यक है। स्थानीय जनता व संस्थाओं द्वारा भवन व उपकरण

इत्यादि उपलब्ध कराये जाने पर नाथद्वारा के राजकीय चिकित्सालय को उच्चीकृत व विस्तृत कर 200 बिस्तरों के चिकित्सालय में परिवर्तित किया जायेगा।

106. टेक्नीशियनों और नर्सिंग कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये आगामी वर्ष में पर्याप्त प्रावधान किया जा रहा है, जिससे उपलब्ध मशीनों का उपयोग भी हो सके तथा रोगियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।

107. राज्य सरकार आगामी वर्ष में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का बृहत् कार्यक्रम हाथ में लेगी जिसके तहत प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सक द्वारा स्कूल में किया जायेगा। गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को रैफरल चिकित्सा सुविधा भी कैंप आयोजित कर उपलब्ध कराई जायेगी। इस कार्यक्रम हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

108. राज्य में टी.बी., कुष्ठरोगों एवं अन्धेपन के निवारण हेतु 15 मार्च, 1999 से एक व्यापक अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के दौरान राज्य के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों एवं स्लम एरिया में चिकित्सा विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर रोगियों का चिन्हीकरण करेंगे ताकि बीमारियों के निराकरण हेतु एकीकृत कार्यक्रम बनाया जा सके।

109. चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों हेतु भवन निर्माण, उपकरणों की व्यवस्था व सुविधाओं के विस्तार हेतु अगले वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

110. राज्य के ग्रामीण एवं शहरी चिकित्सालयों के भवनों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

111. 20 जिला चिकित्सालयों में आधुनिक ऑपरेशन थियेटरों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

112. राज्य के 2 हजार 406 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 200 प्रसाविका गृहों के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

113. राज्य के 16 जिलों में अस्पतालों में उत्पन्न होने वाले कचरे को नष्ट करने के उद्देश्य से, इन्सीनरेटर उपलब्ध कराने के लिए, 2 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि दूषित कचरे से बीमारियाँ नहीं फैलें।

114. आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ प्रायः गरीबों की पहुंच के बाहर रही हैं। 'मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष' में से गरीब व्यक्तियों, विधवाओं, स्वतन्त्रता सेनानियों एवं वृद्धों को गम्भीर बीमारियों के आधुनिक उपचार हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई

जायेगी। 'मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष' में आगामी वर्ष सरकार द्वारा 2 करोड़ 50 लाख रुपये का अंशदान दिया जायेगा, केन्द्र सरकार से भी समान अंशदान प्राप्त होने की अपेक्षा है। मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी की आय में से भी कम से कम 25 प्रतिशत राशि इस श्रेणी के मरीजों के उपचार हेतु खर्च की जायेगी।

115. किसी भी राजकीय चिकित्सालय में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को नि:शुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मेडीकेयर रिलीफ कार्ड' उपलब्ध कराये जायेंगे। इस मद में भी 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

116. जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आधुनिकीकरण व नवीनीकरण हेतु लगभग 400 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की जा रही है जो विश्व बैंक को भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

117. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अन्धता निवारण एवं पोलियो सुधार ऑपरेशन के प्रयत्नों में सरकार हमेशा वित्तीय सहायत करती रहेगी। सीकर के कल्याण आरोग्य सदन ने क्षय रोग के उपचार में महत्वपूर्ण कार्य कर लोकप्रियता हासिल की है। इस चिकित्सालय में 100 बिस्तरों हेतु राज्य सरकार वार्षिक अनुदान दे रही है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इन 100 बिस्तरों को बढ़ाकर 150 बिस्तरों के लिये अनुदान दिया जाये।

अनुदान की राशि 30 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति बिस्तर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

118. चालू वर्ष के आयोजना व आयोजना भिन्न के प्रावधानों की तुलना में आगामी वर्ष में 57 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मद में करते हुए आगामी वर्ष में 647 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव है जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है।

आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा :

119. आगामी वर्ष 5 'ब' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों को 'ए' श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 100 'ब' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय तथा 50 यूनानी दवाखाने खोले जायेंगे, जिनके लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। रसायनशालाओं के विकास एवं संस्था गठित करने हेतु सीडमनी के लिये 40 लाख रुपये तथा आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने के लिये 33 लाख रुपये, गरीब जनता को निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये 1 करोड़ रुपये एवं राज्य में वनौषधि उद्यानों के विकास हेतु 14 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा पद्धति हेतु आगामी वर्ष 125 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा :

120. आगामी वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर कुल 2 हजार 675 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों से 57 करोड़ 9 लाख रुपये अधिक है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को आगामी वर्ष में 10 जिलों में लागू किया जायेगा।

121. राज्य में उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बहुत बड़ी मांग है। इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए अगले वर्ष 1 हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा। माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 400 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों मे क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 200 माध्यमिक विद्यालयों को भी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के क्षेत्र में आज तक की गई वृद्धि से अगले वर्ष में की जाने वाली वृद्धि सबसे अधिक है।

122. उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से आठवीं कक्षा का राज्य में समान पाठ्यक्रम व मूल्यांकन पद्धति सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर लगभग 50 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय बीकानेर में होगा। अगले वर्ष 3 जिलों यथा बाराँ, राजसमन्द एवं दौसा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी।

123. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि आगामी सत्र से दुगुनी किया जाना प्रस्तावित है।

124. अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में यदि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण नई कक्षाएँ खोली जाती हैं तो उनको मिलने वाली अनुदान राशि में अगले वर्ष वृद्धि की जायेगी। प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक की सभी शिक्षण संस्थाओं में से ऐसी पाँच शिक्षण संस्थाएँ जिनका परीक्षाफल सबसे अच्छा रहेगा उनको विशेष सहायता दी जायेगी। अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं ने यदि सरकार की अनुमति से संस्था को क्रमोन्नत किया है अथवा नये विषय आरम्भ किये है व इसे एक वर्ष हो गया है तो इन संस्थाओं को मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ाई जायेगी। इस पर आगामी वर्ष में 7 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

125. यह भी प्रस्ताव है कि मान्यता प्राप्त मूक, बधिर व अन्ध बालकों के विद्यालयों को भी शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाये तथा इन विद्यालयों के विद्यार्थियों के काम आने वाले उपकरणों की खरीद के लिये भी उचित अनुदान दिया जाये। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में एक नवीन मूक/बधिर एवं अन्ध विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु 58 लाख 10 हजार रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

126. राजकीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण एवं उचित रखरखाव हेतु विद्यालय भवन विकास योजना जनसहभागिता के आधार पर लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

127. अल्पसंख्यकों को शिक्षा की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 200 उर्दू अध्यापकों के पद सृजित किये जायेंगे।

128. 10 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्माणाधीन 25 बालिका छात्रावासों को पूर्ण करवाया जायेगा। इसके साथ ही 3 हजार 238 प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प, 100 विद्यालयों में चारदीवारी, 1 हजार 262 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 367 माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करवाया जायेगा। इसमें बालिका विद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

उच्च शिक्षा :

129. अजमेर एवं भरतपुर महाविद्यालयों में छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए आगामी वर्ष में इन स्थानों पर एक-एक अतिरिक्त महाविद्यालय प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नीम का थाना, फलोदी, लालसोट, खेतड़ी, आमेट, शिवगंज व तारानगर में तथा अजमेर व कोटा संभागों में स्थानीय जनता द्वारा सामुदायिक आधार पर उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने पर प्रत्येक स्थान पर एक महाविद्यालय खोला जायेगा। इसके लिये 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इनमें से नीम का थाना में महिला महाविद्यालय खोला जायेगा।

130. राजसमन्द महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ की जायेंगी। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुये राज्य में लगभग 6 हजार विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु 100 नये संकाय प्रारम्भ किये जायेंगे।

131. आगामी वर्ष में जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है। साथ ही विश्वविद्यालयों में परिसर के विकास एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु 2 करोड़ 25 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

132. उच्च शिक्षा हेतु आगामी वर्ष 213 करोड़ 63 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है जो इस वर्ष के बजट अनुमानों से 17 करोड़ 25 लाख रुपये अधिक है।

तकनीकी शिक्षा :

133. सरकार तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व देती है। वर्ष 1999-2000 की योजना के अन्तर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 5 करोड़ 45 लाख रुपये, पॉलीटेक्नीक संस्थानों के लिए 11 करोड़ रुपये तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। तकनीकी शिक्षा हेतु आगामी वर्ष में कुल 37 करोड़ 81 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

134. बीकानेर में स्वायत्तशासी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आगामी सत्र से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में उच्च तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से मेडीकल कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज एवं मेनेजमेंट व बिजनेस इन्स्टीट्यूट्स, सामुदायिक अथवा निजी निवेश के आधार पर खोलने को प्रोत्साहन देने हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा सकने वाली अन्य सुविधाओं के बाबत नीति निर्धारित की जायेगी।

135. गत वर्ष अजमेर में स्थित पॉलीटेक्नीक संस्थान का उच्चीकरण कर वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। अजमेर क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते

हुए आगामी वर्ष में वहां एक नया पॉलीटेक्नीक संस्थान प्रारम्भ करने तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास कार्य के लिए 60 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित कर रहा हूँ।

136. आगामी वर्ष में जयपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 'रूडा' के सहयोग से लेदर टेक्नॉलाजी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटरीकरण :

137. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मानव संसाधन अगली सदी की आवश्यकता होगी। आई.बी.एम. के सहयोग से ''इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स एण्ड बिज़नेस'' (Institute of Electronic Governance and Business) की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा के व्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक पंचायत समिति में निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किये जाने की योजना है।

138. प्रशासन में पारदर्शिता लाने एवं सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन की दिशा में कुछ जिलों में कम्प्यूटरीकृत सूचना केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

भाग - 2

संशोधित अनुमान 1998–99 :

139. वर्ष 1998–99 के बजट अनुमानों में 228 करोड़ 20 लाख रुपये का अधिशेष आंका गया था।

140. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि में लगभग 808 करोड़ रुपये की प्राप्तियां न होने की सम्भावना तथा राज्य के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में लगभग 388 करोड़ रुपये की कमी तथा कतिपय अपरिहार्य व्ययों में वृद्धि के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमानों में उक्त अधिशेष 974 करोड़ 49 लाख रुपये के घाटे में परिवर्तित होने का अनुमान है।

141. संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	8838 करोड़ 10 लाख रुपये
2	राजस्व व्यय	11771 करोड़ 55 लाख रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा	2933 करोड़ 45 लाख रुपये

4.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	8260 करोड़ 79 लाख रुपये
5.	पूंजीगत व्यय	6301 करोड़ 83 लाख रुपये
6.	पूंजीगत खाते में आधिक्य	1958 करोड़ 96 लाख रुपये
7.	बजटीय घाटा	974 करोड़ 49 लाख रुपये
8.	प्रारम्भिक घाटा	227 करोड़ 34 लाख रुपये
9.	अन्तिम घाटा	1201 करोड़ 83 लाख रुपये

142. चालू वर्ष के 974 करोड़ 49 लाख रुपये के घाटे में गत वर्ष के 227 करोड़ 34 लाख रुपये के घाटे को जोड़ने पर वर्ष के अन्त में 1201 करोड़ 83 लाख रुपये का समग्र घाटा होने का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष के इस अन्तिम घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु फिलहाल राज्य सरकार द्वारा कोई उपाय प्रस्तावित नही किये जा रहे हैं क्योंकि देश की समस्त राज्य सरकारों के इस प्रकार के घाटे के निपटान की व्यवस्था के बाबत भारत सरकार के अधीन विचार विमर्श चल रहा है, जिसको अन्तिम रूप अगले तीन माह में दिये जा सकने की सम्भावना है। इस राहत के बावजूद भी यदि कोई घाटा अवशेष रहता है तो उसे मैं अगले वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय में कठोर वित्तीय अनुशासन व सादगी, मितव्ययिता तथा राजस्व की बेहतर वसूली की सहायता से पाटने की चेष्टा करूंगा।

आय–व्ययक अनुमान 1999–2000 :

143. अगले वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय–व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	10165 करोड़ 26 लाख रुपये
2	राजस्व व्यय	13556 करोड़ 76 लाख रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा	3391 करोड़ 50 लाख रुपये
	(जिसमें से गैर आयोजना राजस्व घाटा)	2587 करोड़ 93 लाख रुपये
4.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	7195 करोड़ 86 लाख रुपये
5.	पूंजीगत व्यय	4405 करोड़ 95 लाख रुपये
6.	पूंजीगत खाते में आधिक्य	2789 करोड़ 91 लाख रुपये
7.	बजटीय घाटा	601 करोड़ 59 लाख रुपये

बजटीय घाटा :

144. वर्ष 1999–2000 के बजट अनुमानों में 601 करोड़ 59 लाख रुपये का बजटीय घाटा अनुमानित किया गया है। मैं इस घाटे को पूरित कर बजट को संतुलित करने का विचार रखता हूँ। इस संदर्भ में मैं कतिपय प्रस्ताव आगे चल कर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा।

भाग - 3

145. श्रीमन्, अब मैं कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ -

146. मैंने इस बार वित्त मंत्री के रूप में पद ग्रहण करने के पश्चात् अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से अर्थशास्त्रियों, कर प्रशासकों तथा उद्योग एवं व्यावसायिक वर्ग के प्रतिनिधि संगठनों से विचार विमर्श किया है। इनके द्वारा दिये गये उचित सुझावों का समावेश यथासंभव इस बजट में किया गया है।

147. राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दो नये कर लगाये जाने प्रस्तावित हैं। विभिन्न सेवाओं और व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों का विकास कार्यों में योगदान सुनिश्चित करने हेतु व्यवसाय कर (Profession Tax) लगाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही स्थानीय क्षेत्रों में कतिपय वस्तुओं के प्रवेश पर करारोपण करने की दृष्टि से प्रवेश कर (Entry Tax) लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रवेश कर की वसूली चैक पोस्ट्स के द्वारा नहीं की जायेगी बल्कि स्थानीय क्षेत्र विशेष में लाये जाने वाले माल के संबंध में संधारित लेखों तथा विवरणियों (Returns) के आधार पर की जायेगी।

148. करापवंचन (टैक्स इवेज़न) पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु राजस्थान बिक्री अधिनियम व राजस्थान बिक्री कर नियमों में कुछ आवश्यक संशोधन किये जा रहे है।

149. परिवहनकर्ता (ट्रान्सपोर्टर) को वस्तु तथा व्यवहारी (डीलर) के संबंध में पूर्ण सूचना देनी आवश्यक होगी। करारोपण, ब्याज व शास्ति आरोपित करने के प्रयोजन हेतु भी परिवहनकर्ता (ट्रान्सपोर्टर) को व्यवहारी (डीलर) माना जायेगा।

150. माल परिवहन के दौरान करापवंचन (टैक्स इवेज़न) पर और प्रभावी नियंत्रण करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि राज्य में 30 चुने हुए स्थानों पर प्रायोगिक तौर पर कम्प्यूटरीकृत डोक्यूमेन्ट कलैक्शन केन्द्र स्थापित किये जाये। साथ ही पहले से अधिसूचित वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुओं के संदर्भ में भी प्रपत्र 18 अ में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार कुछ अधिसूचित वस्तुओं के सन्दर्भ में प्रपत्र 18स में घोषणा पत्र देना होगा।

151. किसानों के नाम से कई व्यवहारी कतिपय वस्तुओं को राज्य से बाहर ले जाते हैं जिससे करापवंचन (टैक्स इवेज़न) की संभावना रहती है। राज्य के राजस्व हित में यह प्रस्तावित है कि चना, तिलहन, धनिया तथा जीरा को राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (9) के अन्तर्गत कैजुअल ट्रेडर्स के लिये अधिसूचित कर दिया जाये ताकि इन वस्तुओं पर पूर्ण रूप से कर की वसूली हो सके।

152. करापवंचन (टैक्स इवेज़न) रोकने के क्रम में जूतों, घड़ियों व हौजरी पर लागू मूल्य आधारित छूट को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही

प्रशमन योजनाओं (कम्पोजीशन स्कीम्स) की संवीक्षा किया जाना प्रस्तावित है।

153. राज्य में स्टेनलैस स्टील आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि स्टेनलैस स्टील की रिरोलिंग इकाइयों को राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन योजना 1998 की नकारात्मक सूची से हटा दिया जाये।

154. यह भी प्रस्तावित है कि आटा, मैदा व सूजी की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर इन वस्तुओं के निर्माण हेतु प्रयुक्त गेहूं पर क्रय कर की दर को 27 मार्च, 1995 से 1 प्रतिशत कर दिया जाये।

155. कर चुकाये हुये धान से बने चावल की राज्य में बिक्री पर कर देय नहीं है। अब इस रियायत को अन्तर्राज्यीय बिक्री कर के संबंध में भी दिया जाना प्रस्तावित है।

156. पर्यावरण की रक्षा के लिये फ्लाई ऐश का समुचित निस्तारण आवश्यक है। फ्लाई ऐश आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु यह प्रस्तावित है कि फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटों में फ्लाई ऐश की न्यूनतम सीमा 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी जाये।

157. निर्यात प्रोत्साहन हेतु यह प्रस्तावित है कि आर.ई.पी. (REP) लाइसेन्स व एग्जिम स्क्रिप (Exim Scrip) की भांति ड्यूटी एन्टाइटलमेन्ट पास बुक (DEPB) तथा स्पैशल इम्पोर्ट लाइसेन्स (SIL) को भी दिनांक 8 जुलाई, 1998 तक पूर्णतया कर मुक्त

कर दिया जाये तथा दिनांक 9 जुलाई, 1998 से 4 प्रतिशत की कर दर लागू की जाये। इसी क्रम में आगे यह प्रस्तावित है कि आर.ई.पी. (REP) लाइसेन्स, एग्जिम स्क्रिप (Exim Scrip), ड्यूटी एन्टाइटलमेन्ट पास बुक (DEPB) तथा स्पैशल इम्पोर्ट लाइसेन्स (SIL) पर लागू कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाये।

158. तेल के परिशोधन को विनिर्माण की श्रेणी में रखने से संबंधित व्याख्या से उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु यह प्रस्तावित है कि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 2(27) के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया जाये कि तेल के परिशोधन को विनिर्माण की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। साथ ही तेल परिशोधक इकाइयों को परिशोधित तेल की बिक्री पर भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 25 मार्च, 1999 तक इस शर्त के साथ कर में छूट दिया जाना प्रस्तावित है कि इन इकाइयों द्वारा तेल के परिशोधन हेतु खरीदे गये अपरिष्कृत तेल पर राज्य में पूरी दर से कर चुका दिया गया हो।

159. गत बजट में यह व्यवस्था दी गई थी कि 500 मिली लीटर तक की पैकिंग के नारियल के तेल को खाद्य तेल न मानकर केश तेल माना जायेगा। अब यह प्रस्तावित है कि खाद्य तेल व केश तेल का वर्गीकरण पैकिंग की मात्रा के स्थान पर गुणों के आधार पर किया जाये।

160. मिनि सीमेन्ट संयत्रों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित है कि इन संयंत्रों के लिए लागू कम्पोज़ीशन योजना की अवधि 31 मार्च, 2000 तक बढ़ा दी

जाये। साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि कम्पोजीशन हेतु वार्षिक राशि को 9 लाख 25 हजार रुपये प्रति वर्ष से कम कर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाये परन्तु यह शर्त रख दी जाये कि यदि कम्पोज़ीशन योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वाली इकाइयां संपूर्ण वर्ष में अपनी 60 प्रतिशत दैनिक उत्पादन क्षमता के 335 गुना से अधिक माल विक्रय करती हैं तो उन्हें आधिक्य के माल पर पूर्ण दर से कर देना होगा।

161. गत बजट में तथा उसके पश्चात् कई वस्तुओं के संबंध में कर दरों में कमी संबंधी रियायतें दी गई थीं। इन में से कतिपय वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं के संबंध में दी गई रियायतों को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

162. राजस्व वृद्धि की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि निम्नांकित वस्तुओं की वर्तमान कर दरो में वृद्धि की जाए:-

(i) पोस्त दाने पर वर्तमान में कर देय नहीं है। इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

(ii) नॉनस्टिक बर्तनों तथा कुकवेयर पर वर्तमान कर दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) पान मसाला, गुटके व चूरी पर कर दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) हीरे, संश्लेषित जवाहरात व नगीने तथा मूल्यवान तथा अर्द्ध मूल्यवान जवाहरात तथा नगीनों व मोतियों पर 2 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

(v) लॉटरी टिकिट, आयातित विदेशी मदिरा व अफीम पर बिक्री कर की दर को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 44 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

163. राज्य से व्यापार पलायन रोकने की दृष्टि से कतिपय कर दरों के सुसंगतीकरण करने के एवं अन्य संबंधित प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत हैं।

164. पड़ोसी राज्यों में मोटर वाहनों पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है जबकि राजस्थान में 6 प्रतिशत की दर से कर देय है। अधिक कर दर के कारण उपभोक्ता अन्य राज्यों से वाहन खरीदते हैं। अत: यह प्रस्तावित है कि मोटर वाहनों पर लागू कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाये।

165. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए कम्प्यूटरों व उनके पुर्जों की विशेष भूमिका है। कम्प्यूटरों व उनके पुर्जों तथा एक्सेसरीज़ पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है जबकि प्रिन्टर, सी.वी.टी. व यू.पी.एस. पर 12 प्रतिशत की दर से कर देय है। इस विसंगति को दूर करने हेतु यह प्रस्तावित है कि कम्प्यूटर

से संबंधित प्रिन्टर, सी.वी.टी. व यू.पी.एस. पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाये।

166. कैलकूलेटर्स पर वर्तमान में देय कर दर को कम कर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

167. यह भी प्रस्तावित है कि कैरोसीन स्टोव के पुर्जो को कर मुक्त कर दिया जाये।

168. गत वर्षो में राज्य में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले चश्में बनाने वाली इकाइयां स्थापित हुई हैं। चश्मों पर कर दर 4 प्रतिशत होने के कारण इन इकाइयों द्वारा राज्य से बाहर शाखा स्थानान्तरण किया जा रहा है जिससे राजस्व हानि हो रही है। अत: प्रस्तावित है कि चश्मों पर लागू वर्तमान कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाये।

169. कैलशियम कार्बाईड के औद्योगिक उपयोग को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि इस वस्तु पर वर्तमान में लागू कर दर को 4 प्रतिशत से कम कर 2 प्रतिशत कर दिया जाये। इसी प्रकार ज़िन्क ऑक्साईड की औद्योगिक महत्ता को देखते हुए इसे पूर्णत: कर-मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

170. बस बॉडी का अन्य राज्यों में व्यापार पलायन रोकने के लिये यह प्रस्तावित है कि बस बॉडी पर लागू कर दर को घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाये।

171. वनस्पति घी का प्रयोग अब आम हो गया है अत: यह प्रस्तावित है कि वनस्पति घी पर लागू कर दर को 6 प्रतिशत से घटाकर खाद्य तेल व देशी घी के समान 4 प्रतिशत कर दिया जाये।

172. रक्तदान की महत्ता को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि ब्लड कलैक्शन बैग तथा ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सेट को कर मुक्त कर दिया जाये।

173. आम आदमी के उपयोग में आने वाली निवार तथा कॉटन टेप को भी पूर्णतया कर-मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

174. महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु यह प्रस्तावित है कि वर्तमान में कर-मुक्ति हेतु लागू टर्न ओवर सीमा को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाये।

175. कैन्सर के उपचार में काम में आने वाली कुछ औषधियां पहले से कर मुक्त हैं। अब इस सूची में कुछ अन्य औषधियों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हिपेटाईटिस बी के टीके तथा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट को पूर्णतया कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

176. इसके अतिरिक्त निम्नांकित वस्तुओं को भी पूर्णतया कर-मुक्त किया जाना

प्रस्तावित है :

1. इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन
2. गुलाब जल / केवड़ा जल
3. कृपाण
4. बुर्का
5. गुलाल
6. गुब्बारे
7. महावर
8. मंगल सूत्र (सोने के अलावा)
9. गुग्गल, पीपल, अर्जुन की छाल
10. तुलसी माला
11. ग्राफ पेपर
12. सिलाई मशीन का स्टैण्ड
13. स्वेटर बुनने की सलाइयां
14. बार कोडिंग मशीन

पंजीयन व मुद्रांक :

177. यह प्रस्तावित है कि पैतृक कृषि भूमि के हस्तान्तरण के प्रकरणों को मुद्रांक शुल्क से मुक्त रखा जाये।

178. औद्योगिक संगठनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित है कि कस्टम बॉण्ड पर लागू मुद्रांक कर की रियायती दर अब एक्साइज बॉण्ड पर भी लागू होगी।

179. मुद्रांक अधिनियम में आठ श्रेणी के रिश्तेदारों के संबंध में अचल सम्पत्ति का हक त्याग करने की स्थिति में 100 रुपये की रियायती दर अब इनके कानूनी उत्तराधिकारियों को भी दिया जाना प्रस्तावित है।

180. इकरारनामों के माध्यम से होने वाले भूमि बेचान के प्रकरणों में होने वाली करापवंचना (ड्यूटी इवेज़न) को रोकने हेतु यह प्रस्तावित है कि अब इकरारनामों पर 100 रुपये के स्थान पर भूमि के बाजार मूल्य के 3 प्रतिशत के बराबर मुद्रांक लगाना होगा। इकरारनामों का पंजीयन 6 माह के अन्दर करवाने पर देय मुद्रांक राशि में से इकरारनामें के संपादन के वक्त लगाई गई मुद्रांक राशि के समतुल्य राशि को कम कर दिया जायेगा।

181. इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा व गंग नहर क्षेत्रों में भूमि के क्रय संबंधी दस्तावेजों

के पंजीयन के लिये यह शर्त है कि क्रेता या उसके रिश्तेदारों का नाम वर्ष 1971 की मतदाता सूची में होना चाहिये। यह प्रस्तावित है कि वर्ष 1971 के स्थान पर अब वर्ष 1981 की मतदाता सूची में नाम होने की अनिवार्यता होगी।

182. मुख्तारनामों के तहत बेचान के प्रकरणों की अधिकता के कारण होने वाली राजस्व हानि को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि छह माह से अधिक की अवधि के मुख्तारनामों के मार्फत भूमि के बेचान के पंजीयन को लोक नीति के विरुद्ध घोषित कर दिया जाये।

मनोरंजन कर :

183. गत बजट में 10 रुपये तक के प्रवेश शुल्क के सिनेमा टिकिटों पर मनोरंजन कर की दर 100 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत की गई थी। अब राजस्व हित में यह प्रस्तावित है कि इस दर को पुनः बढ़ाकर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत कर दिया जाये।

184. सशस्त्र सेनाओं के जवानों के हित में यह प्रस्तावित है कि सशस्त्र सेनाओं के जवानों को उपलब्ध मनोरंजन कर में छूट की सीमा को 1 रुपये प्रति टिकिट से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति टिकिट कर दिया जाये।

185. खेल कूद व कला की विभिन्न विधाओं को प्रोत्साहित करने हेतु यह प्रस्तावित है कि खेल कूद, दंगल, कव्वाली तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर मनोरंजन कर में पूर्ण छूट दे दी जाये।

186. केबल चैनलों के व्यवसाय से होने वाली लाभदेयता में राज्य सरकार की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु केबल चैनलों पर 10 रुपये प्रति उपभोक्ता प्रति माह की दर से मनोरंजन कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

भूमि एवं भवन कर :

187. सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को भूमि एवं भवन कर में छूट दी जायेगी। इन संस्थाओं से जुड़े बैक, कैन्टीन, बुक शॉप, स्वीमिंग पूल, प्लै-ग्राऊन्ड तथा गैस्ट हाऊस आदि भूमि व भवन कर से मुक्त होंगे।

मोटर वाहन कर :

188. किसानों को राहत देने के उद्देश्य से Agriculture Tractors के साथ खींचे जाने वाले ट्रेलर्स को कर-देय श्रेणी से हटाया जाना प्रस्तावित है।

189. मोटर वाहनों पर देय कर से सम्बन्धित परिवर्तनों के अन्तर्गत मुख्यत: वाहनों की श्रेणियों के संबंध में देय कर की अधिकतम सीमा संशोधित की जा रही है। साथ ही

प्रत्येक स्वामित्व हस्तान्तरण पर पूर्व में दिये गये एक-बारीय कर का 50 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया जाना प्रस्तावित है। दुपहिया वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है।

विलासिता कर (लग्जरी टैक्स) :

190. होटलों पर लागू विलासिता कर की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

191. तम्बाकू पर वर्तमान में टर्नओवर के 5 प्रतिशत की दर से विलासिता कर देय है। इस दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत् शुल्क :

192. काफी समय से विद्युत् शुल्क की दरों में संशोधन नहीं किया गया है। अतिरिक्त राजस्व अर्जन की दृष्टि से विद्युत् शुल्क की दरों को संशोधित किया जा रहा है। वाणिज्यिक, घरेलू, औद्योगिक व खनिज कनैक्शन्स की श्रेणियों में विद्युत् शुल्क की दर 10 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 20 पैसे प्रति यूनिट, अस्थायी कनैक्शन श्रेणी में 15 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 30 पैसे प्रति यूनिट तथा स्वउत्पादित विद्युत् श्रेणी में 8 पैसे प्रति

यूनिट से बढ़ाकर 16 पैसे प्रति यूनिट एवम् कृषि श्रेणी में मीटर्ड सप्लाई पर 1 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 2 पैसे प्रति यूनिट किया जाना प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में नोन-मीटर्ड (फ्लैट रेट) सप्लाई पर विद्युत् शुल्क की दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

अप्रधान खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन :

193. अप्रधान खनिज (Minor Mineral) जैसे कि सैण्ड स्टोन, लाईम स्टोन, मैसनरी स्टोन, लाईम कंकर व फिलाईट आदि की दरों में 20 प्रतिशत - 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा रही है।

सिंचाई की दरों में संशोधन :

194. राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से बोई गई जमीन का एक बड़ा भाग सिंचित होता है। राज्य में वर्तमान में चालू सिंचाई शुल्क की दरें 1982 में निर्धारित हुई थीं। पिछले 17 वर्षों में इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि सिंचाई सुविधाओं व परियोजनाओं के रख-रखाव व संधारण की लागत में बहुत भारी वृद्धि हो गई है। यहां तक कि राज्य इन सुविधाओं के संधारण के लिए समुचित राशियों का प्रावधान नहीं कर पा रहा है। अत: मैं प्रस्तावित करता हूँ कि सिंचाई शुल्क की

दरों में मोटे तौर पर लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि की जाये। जिन्स व फसल वार संशोधित दरें पृथक से अधिसूचित हो कर 1 अप्रैल, 1999 से लागू होंगी। इससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राजस्व राशि का सिंचाई व्यवस्था तंत्र के बेहतर संधारण हेतु आय की प्रत्याशा में अतिरिक्त रूप से प्रावधान करने का प्रस्ताव भी करता हूँ। सिंचाई दरों में इस संशोधन के साथ ही विश्व बैंक की 1 हजार 800 करोड़ रुपये की लागत का राजस्थान वाटर रिसोर्सेज़ कन्सोलीडेशन प्रोजैक्ट तथा जर्मनी के के.एफ.डब्ल्यू. द्वारा राजस्थान माइनर इरीगेशन प्रोजैक्ट - द्वितीय चरण के लिये 63 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा।

भाग - 4

कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास :

195. कुछ क्षण पूर्व मैंने अगले वर्ष की समग्र बजटीय स्थिति दर्शाते हुए बताया था कि वर्ष का समग्र बजटीय घाटा 601 करोड़ 59 लाख रुपये अनुमानित है और जैसा मैंने कहा था, मैं इस घाटे को पूरित करना चाहता हूँ।

196. बिक्री कर के संबंध में रियायतों को वापिस लेने तथा कुछ वस्तुओं पर दरें बढ़ाने से लगभग 115 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है। मनोरंजन कर तथा विलासिता कर में संशोधन के प्रस्तावों से लगभग 13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय तथा मुद्रांक शुल्क कर प्रस्तावों से 70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सम्भावित है। मोटर वाहन कर से संबंधित नये प्रस्तावों से 11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होना अनुमानित है।

197. ऊपर वर्णित कर व शुल्क सम्बन्धी प्रस्तावों के अतिरिक्त विद्युत् शुल्क की दरों में संशोधन से 91 करोड़ रुपये तथा खनिज रायल्टी दरों में संशोधन से 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय संभावित है।

198. सिंचाई दरों में संशोधन से 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति अनुमानित है।

199. यथा-प्रस्तावित व्यवसाय कर तथा प्रवेश कर से लगभग 141 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अपेक्षित है।

200. भाग - 3 के प्रस्तावों के अलावा मैं निम्न प्रकार से अतिरिक्त संसाधन जुटाना भी प्रस्तावित करता हूँ :

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में अनावंटित 3 लाख 57 हजार हैक्टेयर सिंचाई योग्य विकसित क्षेत्र में ज़मीनों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत त्वरित गति से काश्तकारों को आवंटित किया जायेगा। इससे क्षेत्र के विकास के अलावा राज्य को राजस्व के रूप में 200 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकेंगे।

201. शासन ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की समस्या के बारे में गम्भीर चिन्तन किया है। कई घोषणाओं के बावजूद इस समस्या का एक कानून-सम्मत एवं जनसुविधापरक समाधान नहीं निकल पाया। नागरिकों की सुविधा हेतु अब सरकार ने यह निश्चय किया है कि वह ऐसे रिहायशी भूखण्डों पर, जिनका अभी तक कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं हुआ है, मौके पर काबिज़ नागरिक को सीधे ही सरकार से प्रत्यक्ष रूप से लीज-धारक के रूप में सम्बन्ध स्थापित कर सुविधा प्रदान की जाए। इस कार्यक्रम के तहत जहाँ वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान होगा, वहीं राज्य कोष को 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने का अनुमान है।

202. इस प्रकार जुटाये गये कुल 762 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की सहायता से मैं वर्ष 1999-2000 में प्रारम्भिक तौर पर अनुमानित 601 करोड़ 59 लाख रुपये के बजटीय घाटे को पूरित करना प्रस्तावित करता हूँ। ऐसा करते ही बजट में अनुमानित राजस्व घाटा भी 3 हजार 391 करोड़ 50 लाख रुपये से घट कर 2 हजार 629 करोड़ 50 लाख रुपये ही रह जायेगा।

203. अगले वर्ष के बजट को संतुलित कर देने के पश्चात् शेष 160 करोड़ 41 लाख रुपये के संसाधनों में से 100 करोड़ रुपये की राशि राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत सम्बन्धी निर्माण कार्यों, पेयजल तथा चारे आदि की व्यवस्था पर होने वाले सम्भावित अतिरिक्त व्यय के लिये रखना प्रस्तावित करता हूँ। यह राशि बजट में इस प्रयोजनार्थ फिलहाल आवंटित राशि के अतिरिक्त होगी।

204. यदि किन्हीं कारणों से राहत कार्यों पर प्रस्तावित अतिरिक्त राशि का पूरा उपयोग नहीं होता है तो अतिरिक्त प्रावधान में से शेष राशि तथा बचे हुए 60 करोड़ 41 लाख रुपये की अतिरिक्त संसाधन की राशि की सहायता से सर्वप्रथम ग्रामीण विकास की विशिष्ट योजनाओं, जिनके लिए पहले से ही 32 करोड़ रुपये प्रावहित हैं, हेतु 39 करोड़ 41 लाख रुपये और सुरक्षित रख कर शेष 21 करोड़ रुपये को मैं सामाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण आदि हेतु यथा-आवश्यकता अतिरिक्त प्रावधान कर उपयोग करना प्रस्तावित करता हूँ जिनकी विगत मैं मांगों के प्रथम अथवा द्वितीय

संकलनों में यथासमय विधानसभा में प्रस्तुत कर उपलब्ध करा दूंगा।

मध्यावधि आर्थिक एवं वित्तीय सुधार :

205. आज केन्द्र सरकार के साथ साथ देश भर के समस्त राज्य भारी राजस्व घाटे में चल रहे हैं, साथ ही विकासीय अवधारणाओं की पूर्ति हेतु राज्यों को ऋण भी उगाहना पड़ रहा है जिसके चलते ब्याज अदायगियों का बोझ बढ़ रहा है। संसाधनों की कमी के दबाव को पाँचवें वेतन आयोग के भार ने और भी गहरा दिया है। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि इस स्थिति में सकारात्मक सुधार लाने हेतु एक कार्यकारी योजना अमल में लायी जाये जिसके अन्तर्गत परिहार्य खर्चों में भारी कटौती कर तथा नये संसाधन जुटाने जैसे प्रभावी कदम उठाकर 5 वर्षों में शनैः शनैः राज्य के बजट के राजस्व घाटे को कम करते हुए पूर्ण रूप से समाप्त कर राजस्व खाते में अधिशेष की स्थिति लायी जाये। साथ ही शासन के ऊपर आने वाले आकस्मिक दायित्वों (Contingent Liabilities) से निपटने हेतु आगामी वर्ष में ''राजकीय प्रत्याभूति रिडम्पशन फण्ड'' (Government Guarantees Redemption Fund) की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस फण्ड हेतु प्रारम्भ में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

206. मै वर्ष 1999-2000 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा-पटल पर रख रहा हूँ।

अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। चूंकि सदन के पास वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व बजट अनुमानों पर विस्तृत चर्चा कर मांगे पारित करने का पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है अत: मैं वित्तीय वर्ष 1999-2000 के पहले तीन महीनों की अवधि के लिये, यथा 30 जून, 1999 तक, व्यय हेतु "लेखानुदान" की मांग कर रहा हूँ।

207. हमने जिन कठिन परिस्थितियों में सरकार का उत्तरदायित्व संभाला है उससे माननीय सदस्य भलीभाँति परिचित हैं। फिर भी राज्य के विकास की दर बढ़ाने के लिए विषम स्थिति में भी हमने ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किये हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मैं यह बजट किसी विभाग या सेवा विशेष को समर्पित नहीं करके राज्य की जनता को ही समर्पित करता हूँ। मुझे यह आशा व विश्वास है कि इस बजट के माध्यम से जहाँ एक ओर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नये निवेश से अर्थव्यवस्था में मांग की बढ़ोतरी के साथ विकास को गति मिलेगी वहीं दूसरी ओर समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों तथा नि:शक्त व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में भी मदद मिलेगी। अत: अब मैं इन बजट प्रस्तावों को लेखानुदान प्रस्ताव सहित स्वीकृत करने की सिफारिश के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

जयहिन्द !